

जीसियो नियम फार्मूला घर विभाग

समस्या घर की

1. आज आम जनता का जीवन । रोटी । कपडा । और मकान मे । ही खतम हो जाता है ।
2. आज आम जनता रोटी । और कपडा । तो आसानी से कमा लेती है । लेकिन मकान बनाने मे । आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देता है ।
3. लेकिन फिर भी । ईमानदारी की कमाई से । मकान बनान मुस्किल पडता है ।
4. तब आदमी कोई भी । अनैतिक कार्य । करने पर मजबूर हो जाता है ।
5. आज भारत मे जिसके पास घर नही है । वह य तो । घर किराये पर घर लेता है । य तो झोपड पट्टी के । घर मे रहता है ।
6. व्यक्ति को घर किराये पर लेने के लिए । 1 2 महीने घर ढूढना पडता है । घर की दलाली । दलाल को देना पडता है । घर का भाडा देना पडता है । हर 11 महीने मे घर खाली करना पडता है ।
7. हर 11 महीने मे फिर यही परेशानी उठाना पडता है । 1 साल मे व्यक्ति के 4 महीने का समय । घर ढूढने मे । और घर जमाने मे ही चेला जाता है ।

जीसियो नियम से समाधान उपाय

1. पी कार्ड अंकित सरकारी मदद भूमी ।
2. भारतीय पुरुष को । पी कार्ड अंकित सरकारी मदद भूमी । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का 1 घर मिलेगा । इतना ही वैध होगा ।
3. इससे अधिक अवैध । जमीन । घर । कोठी । बगंला । दुकान । प्लाट । खेती जमीन । पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।
4. पी कार्ड धारक । भारत प्रत्येक नागरिक को । सरकारी मदद भूमि । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का 1 ही घर मिलेगा ।
5. जिस पर । पी कार्ड धारक का । आजीवन अधिकार होगा ।
6. सरकारी मदद भूमी । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का 400 स्क्वायर फिट के घर का । पी कार्ड धारक नागरिक व्दारा ।
7. भारत सरकार को । कोई भाडा । कोई किराया । य कोई कीमत नही देना होगा ।
8. पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक । उस घर पर परिवार रख सकता है । रिस्तेदरों । और दोस्तों को । बुला सकता है ।

अधिक घ

जीसियो नियम फार्मूला घर विभाग

1. वर्तमान स्थिति मे । किसी भी भारतीय नागरिक को । पी कार्ड अंकित । सरकारी मदद भूमी । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का 1 घर । जब तक नहीं मिलता ।
2. तब तक । यदि कोई भी भारतीय नागरिक । चाहे ग्राउन्ड मे हो । य किसी भी खण्ड मे । 400 स्क्वायर फिट के घर से । अधिक घर मे रहता है । तो
3. यदि भारतीय नागरिक । किसी भी परिस्थिति मे । यदि 400 स्क्वायर फिट के । घर से ज्यादा घर का । उपयोग कर रहा है । तो
4. तो भारतीय नागरिक को । उस अधिक घर का । 1 रू स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । पी कार्ड से । अधिक घर का किराया । भारत सरकार नगर पालिका के । एन कार्ड मे जमा करना होगा ।

भारत मे घर निर्माण का अधिकार

1. भारत मे । घर निर्माण का अधिकार । सिर्फ भारत सरकार नगर पालिका को होगा ।
2. भारत के किसी भी नागरिक को । घर निर्माण का अधिकार । नहीं होगा ।
3. भारत सरकार नगर पालिका । घर को । भूकंप विरोधी तकनीक से । और बाढ ग्रसित क्षेत्र से हटकर निर्माण । कुशल आर्किटेक्ट । कुशल इन्जीनियरों व्दारा करायेगी ।
4. ताकि पी कार्ड धारक । भारतीय नागरिक की मेहनत । बरबाद न हो सके ।
5. भारत सरकार नगर पालिका व्दारा घर को । भूकंप विरोधी तकनीक से । और बाढ ग्रसित क्षेत्र से हटकर । कुशल आर्किटेक्ट । कुशल इन्जीनियरों व्दारा । निर्माण कराना । नगर पालिका के अन्तर्गत होगा ।

पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को घर

1. पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक व्दारा । घर जरूरत की अर्जी देने की तारीख से । 30 दिन के अन्दर नगर पालिका को घर देना होगा ।
2. पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक व्दारा । घर जरूरत की अर्जी देने की तारीख से । 30 दिन के अन्दर घर न मिलने पर । भारत सरकार नगर पालिका । जब तक घर नहीं देती तब तक ।
3. भारत सरकार नगर पालिका व्दारा । पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । भरण पोषण 5000 रू प्रति माह देना होगा । जो भारत सरकार नगर पालिका को मान्य होगा ।
4. और उस विशेष परिस्थिति मे । भारत सरकार नगर पालिका व्दारा । पी कार्ड धारक । भारतीय नागरिक को । सरकारी । जन सेवा आवास मे रखना होगा ।

घर की मरम्मत का कार्य

1. घर की मरम्मत का कार्य । भारत सरकार नगर पालिका व्दारा । कराया जायेगा ।

जीसियो नियम फार्मूला घर विभाग

2. यदि घर की मरम्मत का कार्य । भारत सरकार नगर पालिका व्दारा । कराने मे । विलम्ब होता है ।
3. उस परिस्थिती मे । पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक स्वय् । घर की मरम्मत का कार्य । पी कार्ड व्दारा करा सकता है ।
4. और पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक । घर के मरम्मत कार्य मे खर्चा । पी कार्ड व्दारा मरम्मत खर्च दिखाकर । भारत सरकार नगर पालिका । से मरम्मत खर्चा ले सकता है ।

पी कार्ड धारक नागरिक का जर्जर घर धरासायी होने पर

1. पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक का घर । जर्जर घर धरासायी होने पर ।
2. भारत सरकार नगर पालिका । पुनः पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का घर देगी ।
3. यदि घर देने मे भारत सरकार नगर पालिका व्दारा विलम्ब होता है ।
4. उस परिस्थिती मे । पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । घर धरासायी होने की तारीख से । भारत सरकार नगर पालिका । जब तक घर नही देती । तब तक ।
5. भारत सरकार नगर पालिका व्दारा । पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । भरण पोषण । 10000 रु प्रति माह देना होगा । जो भारत सरकार नगर पालिका को मान्य होगा ।
6. और उस विशेष परिस्थिति मे । भारत सरकार नगर पालिका व्दारा ।
7. पी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । सरकारी । जन सेवा आवास मे रखना होगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की